कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिहार सेक्टर, आशियाना–दिघा रोड़, पोस्ट– आशियाना नगर, पटना (बिहार)

विज्ञापन

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/जीडी(पुरूष/महिला) की भर्ती–2010

1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/जीडी(पुरूष/महिला) के पद पर भर्ती हेतु बिहार एवं झारखण्ड के स्थाई निवासी भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।	
2.	वेतनमान	उक्त पद के लिए लागू वेतनमान :– वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20,200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–
3.	अन्य भत्ते	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय ।
4.	तैनाती स्थान	भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
5.	(एक) राज्य/श्रेणीवार अधिसूचित रिक्तियाँ निम्नप्रकार से है :-	

क0 सं0	राज्य के नाम	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए									महिला अभ्यर्थियों के लिए								
		रिक्तियाँ									रिक्तियाँ					पूर्व की रिक्तियाँ			
		सामान्य/अनारक्षित	भू0पू0 सैनिक	अन्य पिछड़े वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जनजाति	भू0पू0 सैनिक	कुल	सामान्य/अनारक्षित	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1.	बिहार	383	43	184	21	109	12	07	01	760	05	03	02	--	10	05	12	--	17
2.	झारखण्ड	111	12	27	03	27	03	58	06	247	02	--	--	01	03	05	06	14	25

(दो) उपराक्त के अतिरिक्त, बिहार तथा झारखण्ड के नक्सल/उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए भी निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित रिक्तियाँ अधिसूचित किया जाता है :–

(क) बिहार राज्य :–

औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, पटना, भोजपुर, पूर्वी चपारण, पश्चिमी चम्पारण,, सीतामढी, नवादा, जामुई, अरवल, कैमूर. मुंगेर ।

(ख) झारखण्ड राज्य :–

हजारीबाग, लोहरदग्गा, पलामू, चतरा, गढवा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गिरीडिह, कोडरमा, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सराईकेला–खारसावाँ, धनबाद, खुंटी, रामगढ़ ।

लगातार पृ.....2 पर

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियॉ									महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियॉ				
बिहार राज्य के लिए :–													
सामान्य / अनारक्षित	भू0पू0 सैनिक	अन्य पिछड़े वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनू सूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनु सूचित जन जाति	भू0पू0 सैनिक	कुल	सामान्य / अनारक्षित	अन्य पिछड़े वर्ग	अनू सूचित जाति	अनु सूचित जन जाति	कुल
522	58	251	28	149	17	09	01	1035	07	04	02	.	13
झारखण्ड राज्य के लिए :–													
314	35	76	08	76	08	163	18	698	04	01	01	02	08

टिप्पणी : -

क) उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियॉ प्रशासनिक कारणों से, बिना किसी कारण बताए, घट–बढ़ सकती है ।

ख) योग्य भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलने पर, उनके आरक्षित रिक्तियों को संबंधित वर्गो के उम्मीदवारों से भी भरी जाएगी ।

6 दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू नई अंशदायी पेंशन योजना सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए लागू होगी ।

7 प्रशिक्षित सैनिक होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षण में शामिल होना होगा । ये अभ्यर्थी सरकारी निर्देशानुसार, शारीरिक मापतौल तथा शैक्षणिक योग्यतओं में छुट के लिए पात्र होंगे । ऊपरी आयुसीमा में सैनिक सेवा अवधि के अतिरिक्त 3 वर्ष की छुट देय होगा । परन्तु, सैनिक सेवा से सेवामुक्ति की तिथि एवं पुनःनियोजन की तिथि में 24 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा लागू नहीं है ।

8 के0रि0पु0बल के सेवारत कार्मिकों के पुत्र/पुत्री यदि इच्दुक हो तो वे भी तद्नुसार आवेदन कर सकते है । उन्हें, आम अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना होगा। वे अपने गृह राज्य अथवा भर्ती के समय पिता/माता के नियुक्ति/तैनाती स्थल वाले राज्य में आवेदन कर सकते है ।

9 योग्यता की शर्ते :–

क) आयु :– दिनांक 01/08/2010 को 18 से 23 वर्ष के अन्तर्गत ।

छूटः–

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगी । इसके अतिरिक्त,

लगातार पृ.....3 पर

	i)	जम्मु व कश्मीर के निवासीयों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा 2(ii)(ख) को देखें)।
	ii)	वर्ष 1984 के दंगे तथा 2002 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा 2(ii)(ख) को देखें)।
ख)	शैक्षिक योग्यता	मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा दसवीं कक्षा पास।
ग)	शारीरिक मापदण्ड–	
	उँचाई	पुरुषों – 170 से.मी. महिला – 157 से.मी.
	सीना (पुरूष अभ्यर्थियों के लिए	बिना फुलाए – 80 से.मी. फुलाए – 85 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. तक फुलाया जाना आवश्यक है)
	छूटः–	
	उन व्यक्तियों को जो गढवाल, कुमाउॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी के है तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमांचल प्रदेश, कश्मीर एवं लेह व लद्दाख क्षेत्रों के रहने वाले हैं, को शारीरिक मापदण्ड (लम्बाई व सीना) में छुट की प्रावधान है । (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा 2(iv) (ख), (ग) तथा (घ) को देखें) ।	
	वजनः–	चिकित्सा मापदंण्डों के अनुसार उँचाइ तथा आयु के अनुपात में ।
घ)	चिकित्सा मापदण्ड–	
	सूचना पुस्तिका के पैरा 2(v) (क) तथा (ख) को देखें ।	
10.	<u>भर्ती प्रकिया का अनुकम :–</u>	
	उन उम्मीदवारों को जिनके आवेदन पत्र ठीक पाए जाएंगे, उन्हें भर्ती प्रकिया में भाग लेने हेतु प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र जारी किया जाएगा । उन योग्य उम्मीदवारों की सूची आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्रों पर प्रदर्शित किया जाएगा । उम्मीदवारों को भर्ती प्रकिया के निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा :-	
	क)	उँचाई परीक्षा
	ख)	दौड़
	ग)	पहचान जॉच
	घ)	प्रपत्र / दस्तावेजों की जॉच
	च)	शारीरिक मानदंण्ड परीक्षा
	छ)	शारीरिक दक्षता परीक्षा
	ज)	लिखित परीक्षा
	झ)	चिकित्सा परीक्षा
	टिप्पणी : - भर्ती प्रकिया के पूर्ण विवरण के लिए सूचना पुस्तिका के पैरा–3 को देखें ।	

लगातार पृ.....4 पर

11 इच्छुक उम्मीदवार ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर आवेदन कर सकते है, जिसे पूर्ण विवरण संकलित सूचना पुस्तिका के साथ दिनांक 26/7/2010 से 14/8/2010 तक निम्नलिखित डाक घरों से रु0 40/– डाक प्रभार के रूप में भूगतान कर खरीद सकते हैं :–

<u>बिहार तथा झारखण्ड के निम्नलिखित जिलों के जिला–मुख्यालय में स्थित प्रधान/मुख्य डाक घरों के नाम जहां पर आवेदन पत्र उपलब्ध है ।</u>

बिहार राज्य				झारखण्ड राज्य	
1	बांकिपुर	22	दरभंगा	1	हजारीबाग
2	पटना	23	कटिहार	2	लोहरदगा
3	बिहार शरिफ	24	खगरिया	3	डाल्टनगंज
4	औरंगाबाद	25	किशनगंज	4	चतरा
5	नवादा	26	लक्खिसराय	5	गढवा
6	सीतामाढी	27	मधेपुरा	6	रांची
7	आरा	28	मधुबनी	7	गुमला
8	अरवल	29	मुंगेर	8	सिमडेगा
9	मोतिहारी	30	मुजफ्फरपुर	9	लातेहार
10	बेतिया	31	पुर्णिया	10	गिरिडिह
11	भभुआ	32	सहरसा	11	कोडरमा
12	जहानाबाद	33	समस्तीपुर	12	धनबाद
13	सासाराम	34	शैखपुरा	13	बी0एस0 सीटी
14	जमुई	35	शिवहर	14	जमशेदपुर
15	गया	36	सिवान	15	चाईवासॉ
16	अररिया	37	सुपौल	16	सराईकेला
17	बांका	38	हाजिपुर	17	खुंटी
18	बेगुसराय	39	गोपालगंज	18	रामगढ़ कैंट
19	भागलपुर			19	पाकुड़
20	बक्सर			20	जामताडा
21	छपरा			22	दुमका
				22	देवघर
				23	गोड्डा
				24	साहेबगंज

इसके अतिरिक्त, सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में रु0 50/–(पचास रुपए) मात्र ई–भुगतान के द्वारा नजदीकी डाक घरों, जहां पर ई–भुगतान की सुविधा उपलब्ध हों, पर जमा करना होगा एवं ई–भुगतान रसीद संख्या का ओएमआर आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में दर्शाना होगा । ऐसा नहीं करने पर, आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा । आवेदन शुल्क के अतिरिक्त, सामान्य तथा अन्य पिछडे वर्ग उम्मीदवारों को निर्धारित ई–भुगतान शुल्क डाक विभाग को देना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क भूगतान करने की छूट है । इस प्रकार के प्रत्येक ओएमआर आवेदन पत्र को केवल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है ।

लगातार पृ.....5 पर

यदि ओएमआर आवेदन पत्र को डाक घरों से प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो, उम्मीदवार संबंधित पोस्ट मास्टर से तुरंत संपर्क करेंगे । पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित लिफाफे में दस्ती या त्वरित/पंजीकृत डाक से संबंधित राज्यों के चिन्हित आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र के पते पर भेजना होगा जो कि दिनांक 25/08/2010 तक अथवा दिनांक 25/8/2010 के कार्य समय पूरा होने से पहले पहूँच जाना चाहिए । अंतिम/निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र तथा किन्ही कारणों से अपूर्ण आवेदन पत्र को ग्रहण नहीं किया जाएगा और संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा :-

क0 सं0	राज्य का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र
01	बिहार राज्य	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, मुजफ्फरपुर (बिहार) :: 842 004
02	बिहार के नक्सल प्रभावित जिलें	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, मोकामाघाट(बिहार) :: 803 303
03	झारखण्ड राज्य (नक्सल प्रभावित जिले सहित)	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सिंदरी, जिला-धनबाद(झारखण्ड) :: 828 122

12. आवेदन पत्र के साथ कोई भी कागजात/सत्यापित प्रमाण्पत्र/जाति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु, भर्ती प्रकिया में भाग लेने के लिए जब उम्मीदवार नियत तिथि व समय पर भर्ती केन्द्र पर रिपोर्ट करगें तब सूचना पुस्तिका के पैरा 8(तीन) में उल्लेखानसुार, वे अपने साथ कागजातों के मूल प्रति के साथ साथ उसकी एक सत्यापित फोटो प्रतिलिपि लाएंगे ।

13. बिहार तथा झारखण्ड में रहने वाले उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्य में भर्ती होने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में मान्य स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जो कि संबंधित राज्यों के द्वारा आवासीय स्थिति प्रमाणित करने वाले प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, को प्रस्तुत करने पर ही भर्ती करने पर विचार किया जाएगा ।

14. उम्मीदवारों के सहायता के लिए निम्नलिखित सहायक टेलीफोन नम्बर तथा एस0एम0एस0 आधरित पूछताछ व्यवस्था सहित एक वेबसाईट खोला गया है:-

(क) वेबसाइट का पता :: (डब्लूडब्लूडब्लू.सीआरपीएफ.जीवोवी.आइएन-रिकुटमेंट-सीटी/जीडी.2010
अथवा
(डब्लूडब्लूडब्लू.सीआरपीएफ.रिकुटमेंट.ओआरजी

(ख) टेलीफोन नम्बर :: 0120 3800900
(ग) एसएमएस नम्बर :: सीआरपीएफ56767

लगातार पृ.....6 पर

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार अपने मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित कार्यालयों/आवेदन प्राप्ति केन्द्र से प्रत्येक कार्यालय के समक्ष दर्शाए गए टेलीफोन तथा ई0मेल द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं :–

क0 सं0	कार्यालय का नाम	सहायता फोन नम्बर	ई–मेल
01	बिहार सैक्टर, केरिपुबल, पटना (बिहार)	0612-2584660	igbscrp@sancharnet.in.
02	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, मोकामाघाट(बिहार)	06132-232412	diggcmkg@crpf.gov.in.
03	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, मुजफ्फरपुर (बिहार)	0621-2814815	gcmzr@sancharnet.in.
04	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सिंदरी(झारखण्ड)	0326-2245005	gcjsr@rediffmail. com.

15. सामान्य निर्देश :–

(क)	भर्ती होने के पश्चात, उम्मीदवार केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा सभी सरकारी निर्देशों/नियमों जो भी लागू है, के अधिन शासित होंगे ।
(ख)	शारीरिक दक्षता परीक्षा/यात्रा के दौरान उम्मीदवार के घायल/चोटिल हो जाने पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
(ग)	लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ नीला / काला रंग का बॉल पेन एवं क्लीप बोर्ड आदि लिखित सामग्री लाना होगा ।
(ध)	उम्मीदवारों कों भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
(च)	उम्मीदवार अपने खर्च एवं जोखिम पर चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।
(छ)	सभी योग्य उम्मीदवारों को भर्ती की तिथि व स्थान के बारे में त्वरित/पंजीकृत डाक के द्वारा सूचित किया जाएगा ।
(ज)	अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पूर्व चेस्ट एक्सरे, पैथोलोजीकल एवं अन्य आवश्यक जॉच करानी होगी ।
(झ)	चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष / राय के विरूद्ध केवल एक ही अपील की अनुमति है।
(ट)	भर्ती होने के पश्चात, उम्मीदवारों को केरिपुबल के प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
(ठ)	चयन/नियुक्ति के पश्चात, किसी भी आधार पर यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य अथवा तथ्यों को छुपाने का दोषी पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

लगातार पृ.....7 पर

	(ठ)	चयन/नियुक्ति के पश्चात, किसी भी आधार पर यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य अथवा तथ्यों को छुपाने का दोषी पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।
	(ड)	किसी भी प्रकार के याचना करने, अनुचित तरीका अपनाने या बाहरी प्रभाव डालने पर, उम्मीदवारों को भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने से अयोग्य कर दिया जाएगा ।
	(ढ)	लिखित परीक्षा के परिणाम केरिपुबल के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा तथा संबंधित भर्ती केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा ।
	(ण)	केरिपुबल के भूतपूर्व कार्मिकों (केरिपुबल से निकाले गए कार्मिकों को छोडकर) को नए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा एवं उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू कोई भी छुट प्रदान नहीं किया जाएगा ।

हस्ता0 14/07/10
(डेरिल डीसेना)
पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशा0)
बिहार सैक्टर, केरिपुबल, पटना